भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3213

08 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री"

3213. डॉ. अमर सिंह:

श्री विजय कुमार हांसदाक:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्कूटरों, ऑटो कारों और ट्रकों सहित बेचे गए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध ई-वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में संरचनात्मक चुनौतियों जैसे वाहनों की उच्च लागत, चार्जिंग और अनुरक्षण अवसंरचना की कमी और बैटरी की निष्पादन क्षमता के बारे में उपभोक्ताओं की धारणाओं का समाधान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को सुदृढ़ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने जून, 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू फेम II (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राजसहायता को कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण की ढांचागत चुनौतियों, जैसे- वाहनों की उच्च लागत, चार्जिंग और रखरखाव अवसंरचना की कमी तथा बैटरी निष्पादन के बारे

में उपभोक्ता की धारणाओं का समाधान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आर्थिक प्रोत्साहन/छूट देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया):** सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि हेतु फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को अधिसूचित किया है। फ़ेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम**: सरकार ने वाहनों के घरेलू विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को मंजूरी दी है। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली पीएलआई स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी है। इस स्कीम में, देश में 50 गीगावॉट घंटा क्षमता वाली एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावॉट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियां भी इस स्कीम में शामिल हैं।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

(ङ): जी हां। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बढ़ती पैठ को ध्यान में रखते हुए फ़ेम इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत ई-दुपहियों के लिए प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को 40% से घटाकर एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 15% कर दिया है। इसे 16.05.2023 को ई-दुपहिया वाहनों के मूल उपकरण विनिर्माताओं के साथ हितधारकों की परामर्श बैठकों और फ़ेम इंडिया स्कीम, चरण-II के लिए परियोजना कार्यान्वयन और संस्वीकृति समिति (पीआईएससी) के अनुमोदन के बाद लागू किया गया है।

***

अनुलग्नक

2018 से अब तक यानी 01.08.2023 तक देश में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणी-वार विवरण

क्र.सं.	वाहन श्रेणी	2018			2019			2020			2021			2022			2023 (01-08-2023 तक)		
		कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%	कुल	ईवी	%
1	दुपहिया	1,95,76,235	17,067	0.09	1,86,44,700	30,389	0.16	1,43,05,129	29,113	0.20	1,39,26,217	1,56,243	1.12	1,55,92,118	6,31,181	4.05	92,76,337	4,89,637	5.28
2	तिपहिया	7,64,806	1,10,133	14.40	7,65,867	1,33,489	17.43	4,00,893	90,385	22.55	3,90,820	1,58,129	40.46	6,77,034	3,50,247	51.73	5,72,654	3,00,114	52.41
3	चौपहिया	29,99,288	1,047	0.03	28,22,782	962	0.03	23,96,428	3,207	0.13	29,45,340	12,259	0.42	33,46,973	33,205	0.99	20,20,459	40,186	1.99
4	मालवाहक वाहन	8,86,047	658	0.07	7,99,661	54	0.01	5,03,358	15	0.00	6,02,805	1,118	0.19	8,04,409	653	0.08	4,90,920	1,512	0.31
5	सार्वजनिक सेवा वाहन	79,317	50	0.06	81,022	508	0.63	40,328	88	0.22	15,434	1,177	7.63	45,448	1,972	4.34	47,058	985	2.09

नोट: **1-** दिए गए विवरण केंद्रीकृत वाहन4 के अनुसार डिजिटीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।

2- तेलंगाना और लक्षद्वीप के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केन्द्रीकृत वाहन4 में नहीं हैं।

3- उपर्युक्त सूची वाहन में वर्ष-वार पंजीकृत वाहनों को दर्शाती है।

***